

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 191/204-A2/197

यह प्रमाण-पत्र राजस्थान राज्य के खासदार मूल रिमोह समिति

जयपुर जिला जयपुर के

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताचरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक तृतीया माह जून सन् एक हजार नौ सौ चौरास जयपुर में दिया गया।



टी. एन. मायूर

रजिस्ट्रार संस्थाएं, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान, जयपुर।

प्रधानाचार्य

वाइटमून पब्लिक रीनियर सैकण्डरी स्कूल, विद्याधर नगर, जयपुर